फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू

बनवारी बनाम सहायक अभियन्ता

मुकदमा संख्या /वर्ष : 255 /2023

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		प्रार्थी की बहस सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र ख.नं. 1317 रकबा 0.42हे. किस्म चाही पर अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र बाबत वाद उद्घोषणा के साथ पेश किया है, चूंकि ख.नं. 1317 रकबा 0.42 किस्म चाही है, ऐसी स्थिति में इस भूमि पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में दिखाई देता है। खसरा नम्बर 1317 रकबा 0.42 के लावा ही अप्रार्थी स.(2) की भूमि ख.नं. 1359 में गैर मुमकिन रास्ता है, जिसकी आड में अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता निकालने की आशंका जाहिर की है	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		जिसका उल्लेख प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र सशपथ किया है। ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थी को ख. नं. 1317 से जबरन बेदखल किया गया तो, अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ताफैसलावाद अप्रार्थी को इस आशय से पाबंद किया जाता है कि ख. नं. 1317 रकबा 0.42 है. पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए (without due process of court) प्रार्थी को जबरन बेदखल न करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, [illegible] ([illegible]पुर)	